केन्द्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केन्द्र CENTRAL SERICULTURAL GERMPLASM RESOURCES CENTRE केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD, होसूर HOSUR - 635 109

परिवार का विवरण Details of Family

फार्म सं. FORM No.3

[नियम 54 (12) देखें See Rule 54 (12)]

| _ ` ` | , . | ` / 3 |
|--|-----|---|
| सरकारी कर्मचारी का नाम | : | |
| NAME OF THE GOVERNMENT SERVANT | | |
| पदनाम/DESIGNATION | : | |
| कर्मचारी सं./EMPLOYEE No. | | : |
| | | _ को यथाविद्यमान परिवार के सदस्यों का विवरण |
| Details of the members of family as on | | |
| | | |

| क्रम सं Sl. No. | परिवार सदस्यों के नाम/ Name of the Family Members | सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध एवं आवास/ Relationship with Government Servant and place of residing | जन्म तिथि व आयु/Date of Birth and age | प्रतिमाह आय/ Income per month |
|--------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

में एतद्द्वारा कोई भी जोड़ या प्रत्यावर्तन कार्यालय के प्रधान को अधिसूचित करते हुए उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का उत्तरदायित्व लेता हूँ।

I hereby undertake to keep the above particulars up to-date by notifying to the Head of Office any addition or alterations.

दिनांक/Date:

स्थान/Place:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the Government Servant

इस प्रयोजन हेतु परिवार का अर्थ सीसीएस नियम, 1972 के नियम 54 के उप नियम (14) के खण्ड में दी गई परिवार परिभाषा के अनुसार है।

Family for this purpose means family as defined in Clause [b] of Rule [14] of Rule 54 of the CCS Rules, 1972.